पुनर्वित्त योजनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण

क्र. सं.	पृच्छा	स्पष्टीकरण
विशिष्ट योजना - आरएमएसई		
1	क्या इस योजना में पिछले एक वर्ष में एनबीएफसी से खरीदे गए एमएसएमई ऋण शामिल होंगे (उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष असाइनमेंट)?	इस योजना में एनबीएफसी से खरीदे गए एमएसई ऋण (प्रत्यक्ष असाइनमेंट) शामिल हो सकते हैं (ऋण सौंपने वाली एनबीएफसी द्वारा व्युत्पन्न)।
2	उन इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी की सुविधा का वार्षिक नवीकरकण किया जाता है जहां मौजूदा ऋण-सीमा के भीतर एमएसई उधारकर्ता की व्यावसायिक आवश्यकता और पात्रता के आधार पर वृद्धि या कमी के साथ नवीनीकरण की अपेक्षा होती है। सीमा का वास्तविक उपयोग सामान्यतया पर 60-80% के बीच होता है और उद्योग की मौसमी विशेषताओं के आधार पर यह 100% तक पहुंच जाता है। ऐसे ग्राहकों के लिए क्या हमें ऋण-सीमा या बकाया राशि पर पुनर्वित्त का लाभ उठाना चाहिए ?	इस योजना के अंतर्गत केवल बकाया राशि पर पुनर्वित्त प्राप्त करने की अनुमति है।
3	परिदृश्य: एक ग्राहक पर 12 माह पूर्व तक 5 करोड़ रुपये बकाया है और पिछले एक साल में 2 करोड़ रुपये का वृद्धिशील ऋण लिया है। ऐसे ग्राहक के लिए पुनर्वित्त के अंतर्गत पात्र राशि क्या होगी? क्या यह 7 करोड़ रुपये हो सकता है या 2 करोड़ रुपये?	इस योजना में उन बकाया ऋणों के लिए अनुमति होगी, जो पुनर्वित्त हेतु आवेदन की तिथि से पिछले 12 महीनों के दौरान संवितरित किए गए हैं।
4	क्या किसी बैंक द्वारा ऐसा ऋण वितरित किया गया है, जहां ब्याज दर ईबीएलआर से संबद्ध है अर्थात टी-बिल, रेपो रेट, जी-सेक रेट आदि पुनर्वित्त हेतु पात्र हैं।	हां, बशर्ते अंतिम एमएसई उधारकर्ता से ली जाने वाली अंतिम उधार दर प्रयोज्य ब्याज दर सीमा के भीतर आती हो, (अर्थात, "10-वर्ष की सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल" पर 350/450 बीपीएस तक की ब्याज दर)।
एमएसएमई का वर्गीकरण		
1	थोक व्यापार और संबंधित वितरण संबंधी सेवाओं आदि में एमएसएमई इकाइयों को उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) प्राप्त करने में कुल बिक्री और उपकरणों में निवेश के समग्र मानदंडों को पूरा करने के बाद भी कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है।	यूआरसी पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन अपेक्षित होगा।

	क्या हम ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ?	
2	इसके अलावा, परिपत्रों में 26 जून-2020 के भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एमएसई की परिभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। दिसंबर- 2019 में प्रदत्त अग्रिमों के लिए, एमएसई की परिभाषा संयंत्र और मशीनरी में निवेश के पुराने मानदंडों अनुरूप है। क्या ऐसी परिभाषा के तहत दिए गए ये अग्रिम आरएमएसई के अंतर्गत पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे ?	हां
परिचालन (कार्यशील पूंजी से संबंधित)		
1	क्या ओवरड्राफ्ट (ओडी) की सुविधा पुनर्वित्त के लिए पात्र होगी। दिशानिर्देशों में यह उल्लिखित है कि पुनर्वित्त सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के लिए है, जबकि ओवरड्राफ्ट कार्यशील पूंजी सुविधा का एक हिस्सा है।	एमएसई उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ओडी की सुविधा पुनर्वित्त के लिए पात्र है, क्योंकि यह एक कार्यशील पूंजी से संबंधित उत्पाद है। यह उल्लेखनीय है कि अन्य सभी निधि आधारित कार्यशील पूंजी उत्पाद भी इसके लिए पात्र हैं।
2	ओडी की सुविधा में क्लाइंट को एक लिमिट दी जाती है और वह लिमिट तक निकासी कर सकता है और कुछ अवसरों पर ड्रॉडाउन शून्य भी हो सकता है।	सिडबी को आवेदन प्रस्तुत करने के दिन ओडी की बकाया राशि पर विचार किया जाना है।
3	कार्यशील पूंजी मांग ऋण की अवधि एक वर्ष से कम होगी (जैसाकि परिभाषा में इसके एक वर्ष से कम की अवधि का होना अपरिहार्य है)। इन्हें प्रायः विस्तारित करने की अनुमति होती है, इसलिए उनकी पात्रता विश्वसनीय होगी, जबकि पुनर्वित्त की अवधि एक वर्ष से अधिक की हो सकती है।	अधिकांश कार्यशील पूंजी उत्पादों की वैधता एक वर्ष की होती है और इसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत /विस्तारित किया जाता है। कार्यशील पूंजी मांग ऋण के संबंध में भी यही व्यवस्था प्रयोज्य है, अतः इस पर भी समान रूप से विचार किया जाता है।
4	एक ग्राहक के पास कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमा रु.5 करोड़ की है, पिछले वित्तवर्ष के दौरान बकाया रु.5 करोड़ था। अब सीमा बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दी गई है और बकाया राशि भी 7 करोड़ रुपये है, ऐसे में पुनर्वित्त के लिए पात्र सीमा क्या होगी।	चूंकि कार्यशील पूंजी ऋण हर साल नवीकृत किया जाता है, अतः इसे केवल एक मंजूरी के रूप में माना जाएगा। इसलिए पात्र सीमा रु 7 करोड़ है। यदि पूर्व में ₹ 5 करोड़ की बकाया राशि के लिए पुनर्वित्त लिया गया था, तो केवल 2 करोड़ रुपये तक की वृद्धिशील बकाया राशि ही वर्तमान पुनर्वित्त के लिए पात्र होगी।

परिचालन (सावधि ऋण संबंधी)		
1	एक ग्राहक को 5 करोड़ रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया गया था और 12 महीनों की अवधि से भी पूर्व 4 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। पर अंतिम 1 करोड़ रुपये पिछले 12 महीनों में संवितरित किए गए थे और जिसकी बकाया राशि अभी 4.5 करोड़ रुपये है। ऐसे में पुनर्वित्त के लिए पात्र सीमा क्या होगी ?	यदि पिछले 12 महीनों के दौरान कुछ संवितरण हुए हों और यदि ऋण खाते को विगत दिनों में पुनर्वित्त के अंतर्गत कवर नहीं किया गया हो तो, आवेदन की तिथि को पूरा बकाया एमएसईआरएस के तहत पुनर्वित्त के लिए पात्र होगा ।